



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 127393

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 19883 वर्ष 2026

मौनीस

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, गृह सचिव, उत्तर प्रदेश के माध्यम से

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अतुल कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं।
2. यह ज़मानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 148/2026 (थाना बुढ़ाना, ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर) में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है। यह मामला बी.एन.एस. की धाराओं 191(2), 191(3), 190, 109(1), 131, 126(2), 352 के तहत दर्ज है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है। एफआईआर में सामान्य आरोप लगाए गए थे और जब

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



घायल व्यक्ति का बयान दर्ज किया गया, तो उसने आवेदक का नाम नहीं लिया। आवेदक के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों, यानी उस्मान और सुहैल उर्फ सिकंदर को इस न्यायालय की एक बेंच ने क्रमशः 26.5.2026 और 15.6.2026 के आदेशों के ज़रिए ज़मानत दी है; ये आदेश क्रिमिनल मिसलेनियस ज़मानत आवेदन संख्या 18048/2026 और 19740/2026 में दिए गए थे। उनका यह भी कहना है कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह 12.4.2026 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत देने की आवेदन का विरोध किया, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सके कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों, यानी उस्मान और सुहैल उर्फ सिकंदर को इस न्यायालय की एक अन्य बेंच ने ज़मानत दे दी है।

5. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखा है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों - उस्मान और सुहैल उर्फ सिकंदर - को इस न्यायालय की एक बेंच ने ज़मानत दे दी है और उस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न तो रद्द किया है और न ही उस पर रोक लगाई है, और आवेदक 12.4.2026 से जेल में बंद है, इसलिए मुझे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करना उचित लगता है।

7. ज़मानत की आवेदन **मंजूर** की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. ऊपर बताए गए मामले/अपराध में शामिल आवेदक- **मौनीस** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार पेश करे और नीचे दी गई शर्तों का पालन करे। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और सबूत पेश करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(ii) आवेदक को विचारण न्यायालय में तय हर तारीख पर खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के मौजूद नहीं रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) अगर आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82 / बी.एन.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय में पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के मुताबिक उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा:

(1) मुकदमा शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर और (3) सीआर.पी.सी. की धारा 313 के तहत

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जान-बूझकर या बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहा है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकता है।

9. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियों का विचारण जज की उस स्वतंत्र राय पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो वे गवाहों की गवाही के आधार पर बनाएंगे।

16 जून, 2026

ललित शुक्ला

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”